प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ.: माननीय श्री अभय मनोहर सप्रे,न्यायाधीश एवं

माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रीट अपील क्रमांक 95/2010

अपीलार्थी: जी.पी. श्रीवास

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगलपीठ में अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2 (1) के तहत रिट अपील।

उपस्थिति सुश्री शर्मिला सिंघई, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता। श्री एम.पी.एस. भाटिया, शासन हेतु उप शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

(26.04.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे द्वारा पारित किया गया:

सुना गया।

(2) यह अपील रिट याचिका रीट याचिका(सेवा) क्रमांक. 344 of 2009 के रिट याचिकाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगलपीठ में अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के तहत एकलपीठ न्यायाधीश द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 22 मार्च 2010 के विरुद्ध दायर की गई है।

(3) आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया और परिणामस्वरूप, उसमें मांगे गए अनुतोष प्रदान करने से इनकार कर दिया।

(4) अतः इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करने में न्यायसंगत थे?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) मामले के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। अपीलकर्ता (रिट याचिकाकर्ता) एक राज्य कर्मचारी था और सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के पद से अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2006 को राज्य सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ था। दिनांक 12.06.2008/1.7.2008 को, उसे आरोप पत्र के साथ एक कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसमें पांच आरोप शामिल थे। आरोप पत्र/कारण बताओ नोटिस निम्नलिखित है:-

"छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विभाग

'मंत्रालय''

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक-7-6/2007/14-1 रायपुर दिनांक 12-6-2008

प्रति,

श्री जी० पी० श्रीवास,

(सेवा निवृत्त) सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी,

(भू० सं०) उप संभाग, राजनांदगांव छ०ग०

द्वारा:- संचालक कृषि छ०ग० रायपुर,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विषय:- विभागीय जांच विरूद्ध श्री जी०पी० श्रीवास, तत्कालीन सहायक भुमि संरक्षण अधिकारी (भू० सं०) उप संभाग, राजनांदगांव छ०ग० के विरूद्ध आरोप पत्रादि जारी करने बाबत।

लघु सिंचाई तालाब गिधवाभंवर में प्रस्तावित सिंचाई नाली हेतु (केनाल) स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार कार्य नहीं करवायें जाने के कारण राज्य शासन ने आपके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित का निर्णय लिया है।

अतः सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 (2) के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

2/ आपके विरूद्ध आरोप पत्र एवं उसके समर्थन में अवचार एवं कदाचार के विवरण दस्तावेज तथा साक्षियों की सूची संलग्न है।

3/ आपको निर्देशित किया जाता है कि इस ज्ञाप के प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अपना लिखित प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, तथा यह भी स्पष्ट करें कि क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है?

4/ आपको यह भी सूचित किया जाता है, कि यदि आप अधिरोपित आरोपों का प्रतिवाद उत्तर समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं करते है, तो यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा प्रकरण में आपके विरूद्ध गुण-दोषों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी ।

संलग्न :-

1. आरोप पत्र (पृष्ठ क० 01)
2. अभिवाचन पत्र (पृष्ठ क0 02 से 03 तक)
3. अभिलेख एवं गवाहों की सुची (पृष्ठ क0 04 से 05 तक)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

सही / 11-06-08

(एस०आर० सेजकर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग"

(6) इसी पत्र/कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध अपीलकर्ता (रिट याचिकाकर्ता) ने व्यथित होकर रिट याचिका दायर की थी, जिससे यह अपील उत्पन्न हुई है । आक्षेपित पत्र/सूचना को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (संक्षेप में "नियम") के नियम 9 (2) (b) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और इसलिए विधिक रूप से गलत है । दूसरे शब्दों में, तर्क यह था कि राज्य और उनके संबंधित अधिकारियों ने अपीलकर्ता, जो एक सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी है, के विरुद्ध आक्षेपित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय कार्यवाही शुरू करने से पहले राज्यपाल की उचित स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी । इसलिए, आरोप पत्र में निहित आरोपों की जांच के लिए ऐसी कार्यवाही विधिक रूप से टिकाऊ नहीं है । यह तर्क दिया गया था कि किसी भी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करना एक पूर्व-अपेक्षित और अनिवार्य शर्त है, और राज्य द्वारा ऐसी अनिवार्य आवश्यकता का पालन न करना आरोप पत्र को दूषित करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) राज्य ने जवाबदावा दाखिल किया और अन्य बातों के साथ-साथ आधिकारिक अभिलेख (जो न्यायालय के आदेशानुसार रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे) के आधार पर तथा आक्षेपित पत्र की विषय-वस्तु (ऊपर उद्धृत) के आधार पर यह तर्क दिया कि सभी सक्षम अधिकारियों से उचित स्वीकृति प्राप्त की गई थी। यह स्वीकृति नियम 9 (2) (बी) की आवश्यकता के अनुसार तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में बनाए गए कार्य नियमों के साथ पढ़ते हुए प्राप्त की गई थी।

(8) विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य के उपरोक्त तर्क को बरकरार रखा और परिणामस्वरूप, रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसके कारण अब रिट याचिकाकर्ता द्वारा यह अंतर-न्यायालयलीन अपील दायर की गई है ।

(9) अपीलार्थी (रिट याचिकाकर्ता) की विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील के समर्थन में आक्षेपित आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए वही तर्क दोहराए, जिन्हें रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।संक्षेप में उनके तर्क को पुन: दोहराने के लिए, उनका तर्क यह थी कि एक बार जब अपचारी कर्मचारी (रिट याचिकाकर्ता) ने राज्य के इस अधिकार को चुनौती दी कि वे विभागीय कार्यवाही शुरू करने से पहले राज्यपाल की उचित स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहे हैं, तो यह राज्य के लिए आवश्यक था कि वह यह स्पष्ट करे कि उन्होंने राज्यपाल की उचित स्वीकृति कैसे, कब, किस तरीके से और किन परिस्थितियों में प्राप्त की ।पत्र में केवल यह उल्लेख कर देना कि स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, पर्याप्त नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष का समर्थन किया । उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तुत दस्तावेजों (मामले की पूरी नोट शीट) और इस तथ्य को देखते हुए कि पत्र पर कार्य नियमों के तहत राज्यपाल द्वारा सशक्त प्राधिकारी ने हस्ताक्षर किए थे, यह सिद्ध होता है कि आक्षेपित कार्रवाई नियमों के नियम 9 (2) (b) की आवश्यकता के अनुरूप है ।

(11) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और मामले के अभिलाख के अवलोकन पर, हमें इस अपील में कोई सार नहीं मिला।

(12) नियमों का नियम 9 (2) और संविधान का अनुच्छेद 166, जो इस अपील के निराकरण के लिए सुसंगत हैं, इस प्रकार पढ़े जाते हैं:

"9(2) (क) विभागीय कार्यवाहियां, यदि शासकीय सेवक के सेवा में रहते हुए चाहे सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान संस्थित की गई हों तो इस नियम के अधीन शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी कार्यवाहियां चालू मानी जावेगी और वे जिस प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई

थीं उसी के द्वारा और उसी प्रकार से जैसा कि शासकीय सेवक सेवा में रहता; चालू रहेंगी और निर्णीत की जावेंगी:

परन्तु यह कि जहां विभागीय कार्यवाहियां राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा संस्थित की गई हैं तो वह प्राधिकारी उसके निष्कर्षों को अंकित कर राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) विभागीय कार्यवाहियां, जब शासकीय सेवक सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति के पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित की गई तो-

(i) राज्यपाल की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएंगी;

(ii) ऐसे संस्थापन के पूर्व चार वर्ष के पहिले घटित किसी घटना के बारे में नहीं होंगी; तथा

(iii) विभागीय कार्यवाहियों को लागू प्रक्रिया के अनुसार ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर संचालित की जावेंगी जैसा शासन निदेशित करे –

(क) जिसमें शासकीय सेवक को उसकी सेवा के दौरान उसे सेवा से पदच्युत करने का आदेश दिया जा सकता है, उस मामले में जब पेंशन अथवा उसके भाग को चाहे स्थायी रूप से या निर्दिष्ट कालावधि के लिये रोकना अथवा वापस लेना प्रस्तावित था; अथवा

(ख) जिसमें यदि उसकी पेंशन से शासन को पहुंचाई गई आर्थिक हानि की पूर्ण अथवा भाग की वसूली का आदेश प्रस्तावित किया गया था शासकीय सेवक को उसकी सेवा के संबंध में उसकी लापरवाही अथवा आदेश भंग के कारण हुई आर्थिक हानि की पूर्ण अथवा भाग को उसके वेतन से वसूल करने का आदेश किया जा सकता है।

166. **राज्य की सरकार के कार्य का संचालन** — (1) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी।

(2) राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

(3) राज्यपाल, राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा।

(13) हमारे सुविचारित मत में, यदि कोई आक्षेपित पत्र की विषय-वस्तु की जांच न्यायालय के आदेशानुसार राज्य द्वारा प्रस्तुत नोट शीट के साथ, उपर्युक्त दो प्रावधानों की आवश्यकताओं के आलोक में करता है, तो हमें दिनांक 12.6.2008/1.7.2008 के आक्षेपित पत्र (अनुलग्नक-पी-3) और रिट न्यायालय के आदेश की वैधता और शुद्धता को बरकरार रखने में कोई संकोच नहीं है । वास्तव में, मामले के अभिलेख से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि राज्य ने अनुच्छेद 166 के तहत इस संबंध में बनाए गए कार्य नियमों को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित अधिकारियों और राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त की थी ।कारण बताओ नोटिस में निहित विवरण भी इस तथ्य की पुष्टि करता है, जैसा कि निम्नलिखित शब्दों से स्पष्ट होगा:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

सही / 11-06-08

(एस०आर० सेजकर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग"

(14) अनुच्छेद 166(2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि एक बार राज्यपाल के नाम से पारित कोई आदेश, व्यवहार नियमों में निर्धारित तरीके से, उस हेतु सशक्त प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है, तो ऐसे आदेश को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि वह राज्यपाल द्वारा बनाया गया आदेश नहीं है। इस मामले में, यह रीट याचिकाकर्ता का मामला नहीं था कि आक्षेपित आदेश/पत्र पारित करते समय अनुच्छेद 166 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए व्यवहार नियमों का पालन नहीं किया गया, आदि। मान लें कि ऐसा किया भी गया हो, तब भी उपर्युक्त हमारे निष्कर्ष के प्रकाश में, हमारा मत है कि नियम 9(2)(बी) के अंतर्गत अपेक्षित रूप से राज्यपाल से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गई थी और इसलिए दिनांक 12.6.2008/1.7.2008 के विवादित पत्र (अनुलग्नक पी-3) को उक्त आधार पर चुनौती देना स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा रीट न्यायालय द्वारा उसे सही रूप से निरस्त किया गया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) तत्पश्चात अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, हमारे आदेश के अनुपालन में राज्य द्वारा प्रस्तुत नोट-शीट्स में कुछ त्रुटियों/कमियों की ओर संकेत किया और उसी आधार पर यह तर्क किया कि नियम 9(2)(बी) की आवश्यकताओं के अनुसार राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई हुई नहीं मानी जा सकती, न ही यह कहा जा सकता है कि व्यवहार नियमों के अनुसार मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं; क्योंकि नोट-शीट तथा उसके विषय-वस्तु के अवलोकन से, एवं आक्षेपित पत्र के साथ संयुक्त रूप से देखने पर, स्वीकृति प्राप्त किए जाने की पुष्टि होती है।

(16) वास्तव में, स्वीकृति किस प्रकार प्राप्त की जानी चाहिए और उसके क्या मानदण्ड हैं—इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य विरुद्ध डॉ यशवंत त्रिम्बक, 1996 (2) एस.सी.सी 305** में स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। विद्वान न्यानधीश ने रीट याचिका का

निर्णय करते समय इस निर्णय का उचित रूप से संज्ञान लिया। हम उनके द्वारा ग्रहण किए गए दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि यह **<u>डॉ यशवंत त्रिम्बक</u> (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है।

(17) उपर्युक्त चर्चा के प्रकाश में, हमें इस अपील में कोई सार नहीं दिखाई देता। यह असफल होती है और तदनुसार ख़ारिज की जाती है।

(18) मामले को समाप्त करने से पहले, हम यह कहना चाहेंगे कि राज्य अपीलकर्ता (रिट याचिकाकर्ता) के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करे और इसे अधिमानतः इस आदेश की तिथि से छह महीने के भीतर पूरा किया जाए। यह कहना अनावश्यक है कि कार्यवाही पूरी की जाएगी और अंतिम आदेश विभागीय कार्यवाही के संचालन को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए सख्ती से विधि के अनुसार पारित किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

सही/-

(अभय मनोहर सप्रे)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur